



पंचायती राज में महिला उद्यमिता

डॉ०संजीव गंगवार

विभागाध्यक्ष समाजशास्त्र विभाग शान्ति निकेतन महाविद्यालय फर्रुखाबाद

[ईमेल:sanjeevgangwar827@gmail.com](mailto:sanjeevgangwar827@gmail.com)

शोध संदर्भ :

वर्तमान बदलते परिवेश में महिलायें किसी से भी पीछे नहीं रही आज महिलायें घर की चाहरदीवारी के अन्दर चौका, बर्तन, झाड़ू-पोछा और बच्चों के लालन पालन तक ही सीमित नहीं रही बल्कि उन्होंने राजनीति व्यवसाय, शिक्षा तथा सेवा के प्रत्येक क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनायी है। पंचायती राज के माध्यम से महिला राजनीति का ग्रामीण स्तर तक राजनीतिकरण हो चुका है। शैक्षिक एवं आर्थिक रूप से अति पिछड़े ग्रामीण परिवारों से सम्बन्धित महिलाओं में भी नेतृत्व की भावना जाग चुकी है। राजनीतिक महत्वाकांक्षा के वसीभूत होकर उच्च राजनीति में प्रवेश हेतु पतित महिलायें अब आर्थिक स्वावलम्बन के लिये निरन्तर प्रयासरत हैं। क्योंकि वे अच्छी तरह जान चुकी हैं कि वर्तमान राजनीति धन बल पर ही आधारित है और धनोपार्जन के लिये उद्यम करना अति अवस्यक हो जाता है।

Keywords: पंचायतीराज, व्यवस्था, महिला, उद्यमी,

पंचायती राज से सम्बन्धित महिला जनप्रतिनिधि अति पिछड़े ग्रामीण परिवेश से निकलकर आयीं हैं जहाँ पूर्व में शिक्षा का सर्वदा अभाव रहा है। इससे स्पष्ट होता है कि उच्च शिक्षा एवं डिग्री, डिप्लोमा से विहीन अल्प शिक्षित ग्रामीण न तो सरकारी कम्पनियों में अच्छी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। परम्परावादी ग्रामीण भारतीय परिवेश में तो स्त्री शिक्षा के लिये कोई स्थान ही नहीं था इसलिये

श्रम अर्थात् उद्यम ही धनोपार्जन एवं जीविका का एक मात्र साधन है यह उद्यम चाहे कृषि में हो या पशुपालन में अथवा स्वरोजगार की लिये। पंचायती राज ने महिला आरक्षण आ जाने से ग्रामीण राजनीतिज्ञ परिवारों में महिलाओं को चुनाव में उतारना पुरुषों की मजबूरी हो गयी है जो महिला एक बार जनप्रतिनिधि निर्वाचित हो चुकी फिर वह पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहती।

किसी भी विषय पर चर्चा से पूर्व सम्बद्ध अवधारणाओं का स्पष्टीकरण विषय के सम्यक् बोध हेतु आवश्यक है। विशेषकर समाज विज्ञानों में तो यह अपरिहार्य, क्योंकि एक ही शब्द के विभिन्न अर्थ और एक अवधारणा के अनेक स्वरूप प्रचलित हो सकते हैं। प्रायः सामान्य अर्थ और विशिष्ट समाजशास्त्रीय अर्थों में भिन्नता होती है। अतएव यहाँ पर सर्वप्रथम "उद्यमी" शब्द के अवधारणात्मक बोध का निरूपण आवश्यक है।

उद्यमी का अर्थ:

उद्यमी सामान्यतः उसे कहा जाएगा, जो 'उद्यम' करे। अतः मूल अवधारणा 'उद्यमी' है। 'उद्यम' का शाब्दिक अर्थ साहसिक कार्य अथवा 'प्रयत्न' माना गया है। यह समाजविज्ञानों में अंग्रेजी के 'Enterprendre' के समानार्थी के रूप में प्रयुक्त होता है और 'उद्यमी' शब्द अंग्रेजी के 'Entrepreneur' शब्द का हिन्दी समानार्थी है। 'Enterprise' शब्द अंग्रेजी में फ्रांसीसी भाषा में प्रयुक्त 'Enterprendre' शब्द से निर्मित हुआ। इसका मूलोद्गम लैटिन भाषा के 'Prehendere' शब्द में है, जिसका अर्थ अधिग्रहीत करना या 'कब्जा करना' (to seize, to take in hand) है। Enter शब्द को 'में' अथवा 'मध्य' (in or among) के अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है। इस प्रकार शाब्दिक दृष्टि से 'उद्यम' का अर्थ साहसपूर्ण अधिग्रहण की क्रिया है और जो इस क्रिया को सम्पन्न करे, उसे उद्यमी कहा जा सकता है।

1. अवधारणात्मक अर्थ :-

शाब्दिक अर्थ के स्पष्टीकरण के साथ 'उद्यमी' के अवधारणात्मक बोध की भी आवश्यकता है। योरोप की वाणिज्यिक क्रान्ति और औद्योगिक क्रान्ति के दौरान ही इस

अवधारणा ने स्वरूप ग्रहण किया। वाणिज्यिक क्रान्ति के साथ ही पूँजी के निर्माण और उसके सहारे लाभार्जन की प्रवृत्ति बढ़ी। पूँजी के निवेश के सहारे लाभार्जन के स्थूलतः दो तरीके हो सकते हैं—1. निर्धारित मात्रा में सुनिश्चित लाभ 2. अनिर्धारित एवं अनिश्चित लाभ या हानि। इस प्रकार का भेद सर्वप्रथम फ्रांसीसी अर्थशास्त्रीयों ने प्रस्तुत किया है। उन्होंने पूँजीपति और उद्यमी में विभेदीकरण प्रस्तुत किया। पूँजीपति को निष्क्रिय निवेशक माना। यह अन्तर 'ब्याज' और 'लाभ' के अन्तर के समकक्ष था। इस प्रकार भेद सर्वप्रथम कैण्टिलॉन ने अपने निबन्ध 'Essair Sur La Nature du Commerce' में 1755 ई० में प्रस्तुत किया। उसने उन व्यापारियों को शेष से पृथक माना जो देहात से निश्चित कीमत पर माल लाकर थोक पर फुटकर में अनिश्चित हाथों पर बेचते थे। इस प्रकार 'उद्यमी' का प्राथमिक लक्षण लाभ की अनिश्चितता का तत्व था। उद्यमी एवं उद्यमिता की इस विशिष्टता को 19वीं शती के अन्त में वॉकर 'F.A.Walker' क्लार्क (J.B.Clark) आदि अर्थशास्त्रियों ने मान्यता दी। आगे चलकर कुछ विद्वानों ने प्रबन्धकीय तत्वों को महत्व देते हुए उद्यमी को 'उद्योग ने नायक' (Capatain of Industry) की संभा दी और माना कि उद्यमी वह है, जो कम्पनी को नियंत्रित-संचालित करता है। इस धारणा का कारण औद्योगीकरण के विकास के साथ ही वृहत् औद्योगिक संगठनों का प्रकट होना था। यहाँ पर प्रबंधतंत्र की कुल आय को लाभ तथा शेयरों के लाभांश को ब्याज के रूप में स्वीकार किया गया। फिर भी अधिकांशतः विद्वान इस तथ्य को स्वीकार करते रहे कि लाभ की अनिश्चितता का सामना करना उद्यमी का प्रमुख लक्षण है।

चूँकि आर्थिक पर्यावरण की परिवर्तनशीलता के कारण आर्थिक गतिविधियों के क्षेत्र में निर्णयों के साथ परिणाम या लाभ की अनिश्चितता जुड़ी ही रहती है, इसलिए 'उद्यमिता' आर्थिक गतिविधियों की निर्णायक कारक है। यदि अनिश्चितता न होती तो निर्णय लेना बहुत सरल होता और मुख्य कार्य निर्णयों को लागू करना ही होता। किन्तु अनिश्चितता के तत्व की उपस्थिति अनुपालन से अधिक महत्वपूर्ण निर्णय की प्रक्रिया का बना देती है' अनिश्चितता के तत्व के आधार पर 'उद्यमी' को पारिभाषित करते हुए Maurice Doble ने कहा है—

‘निर्धारक निर्णयों को लेने में उद्यमी वह व्यक्ति है जो वास्तविक परिणामों के प्रत्याशित परिणामों से कम या ज्यादा होने पर लाभ पर हानि का जिम्मेदार होता है।’¹

उद्यम शब्द को सर डेनिस राबर्टसन ने निम्नलिखित शब्दों में परिभाषित किया है—
 “उद्यम एक लोचपूर्ण शब्द है, क्योंकि इसके विभिन्न अंग किये जा सकते हैं। इसमें उन समस्त क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिनके द्वारा वांछित वस्तुओं को भूमि से निकाला जाता है। उनको मनुष्य द्वारा सजाया और संवारा जाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है, समय उपयोगिता के लिये भण्डार—ग्रहों में रखा जाता है, और मूल्य चुकाने वाले व्यक्तियों के हाथों में सौंपा जाता है, किन्तु हमारे लिये यह अधिक सुविधाजनक होगा कि इस शब्द का उपयोग संकुचित अर्थ में करें, अर्थात् अपना तर्क और विश्लेषण सामान्यतः निर्माण क्रियाओं तक सीमित रखे।”²

हाल के वर्षों में, कई सामाज वैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व पर जोर देकर इसको औद्योगिक विकास के एक महत्वपूर्ण अंश बताया है। मैकलैण्ड 1961 ने अस्थिर व्यक्तित्व को नये परिवर्तनकारी क्रियाओं से सम्बन्धित किया है। उन्होंने उद्यमिता की धारणा की मनोवैज्ञानिक ढंग से व्याख्या की। जैसे कि नये परिवर्तन, निर्णय लेना, श्रेष्ठता की इच्छा आदि। उन्होंने माना कि आन्तरिक तत्व मानवीय, मूल्य और उद्देश्य आदि मनुष्य को अवसर का लाभ उठाने में सहायक होने के साथ ही अनुकूल व्यावसायिक परिस्थितियों में आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

इसमें साहसिकता अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि उद्यमी की उद्योग में प्रमुख भूमिका होती है। प्रयासों की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि किस हद तक औद्योगिक साहसिकता विकसित होती है और लाभप्रद काम में प्रयोग की जाती है। आर्थिक विकास के संबंध में सामान्यता विचार करें तो पायेंगे कि यह बहुत पुरानी मान्यता है कि किसी देश का आर्थिक विकास वहां के व्यक्तियों में उद्यमिता का प्रतिफल है। डॉ० मैकलैण्ड ने अपनी पुस्तक दि अचीविंग सोसाइटी (1961) में यह तथ्य सिद्ध करने का प्रयास किया है कि किसी देश का उत्थान व पतन वहां के व्यक्तियों में उच्च साहसिकता के गुणों की बहुलता अथवा

अभाव का अनुगामी होता है। आर्थिक इतिहासिकता श्री आर्थर एच. काल. जिन्होंने हार्वर्ड विश्वविद्यालय में एन्टीप्रिन्योरियल रिसर्च सेन्टर की स्थापना की थी, यह घोषणा की थी की एन्टीप्रिन्योर का अध्ययन आधुनिक आर्थिक सिद्धान्त के अध्ययन का केन्द्रीय विषय है मैक्लैण्ड (1961) के अनुसार उद्यमी वह व्यक्ति है जो उत्पादन के तत्वों को कुछ अंशों में नियंत्रित करता है। मैक्लैण्ड के अनुसार उद्यमी वह व्यक्ति है जो किसी फर्म व्यावसायिक इकाई को संगठित करता है अथवा उसी उत्पादन क्षमता की वृद्धि करता है हालांकि यह परिभाषा प्रसिद्ध अर्थशास्त्री प्रो० मार्शल द्वारा बहुत पहले 1920 में प्रतिपादित परिभाषा के समान ही है। उनके अनुसार उद्यमी प्रबल प्रयत्नों द्वारा वस्तुओं सेवाओं का अधिक उत्पादन करने हेतु उत्पादन के तत्वों अथवा श्रम व पूंजी आदि को सुनियोजित करता है इस प्रकार वह समाज की सकल संपत्ति अथवा भौतिक साधनों की वृद्धि करता है।

उपरोक्त परिभाषाओं में वर्तमान अन्तर्विरोधों तथा विभिन्न अर्थशास्त्रियों द्वारा अलग-अलग पक्षों पर बल दिये जाने की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुये शब्दोक्त में दिया गया उद्यमी का अर्थ ही उसके विशिष्ट गुणों और कार्यों को स्पष्ट करता है जैसे 1. वह उत्साही और निर्भीक होता है, 2. जोखिम उठाने को तत्पर रहता है, 3. नये प्रयोग के लिये प्रस्तुत रहता है, 4. व्यवसाय का संगठन तथा प्रबन्धन करता है, और 5. यह सब करके लाभ अर्जित करने हेतु सदा जोखिम उठाने को तैयार रहता है।

(ख) महिला उद्यमी – ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:

मानवीय चिन्तन एवं समाज-व्यवस्था के विकास की सम्भवतः सर्वाधिक विसंगतिपूर्ण धारणा समानता की रही है। जब कभी मानवी उत्थान के चरम बिन्दू की कल्पना की जाती है, तब समानता की धारणा ही आधार बनती है। कण कण में ईश्वर की कल्पना हो या जीवमात्र से प्रेम का उद्देश्य, प्रजातन्त्र का सपना हो या समाजवाद की घोषणा, आधार तो अन्ततः समानता ही है। किन्तु यह भी सत्य है समाज से समानता स्वाभाविक है। कुछ मात्रा में संस्तरण समाज में संचालन हेतु आवश्यक है। प्रायः ऐसा माना जाता है कि आदिम युग से समाज असंस्तरित था, किन्तु सामाजिक एवं प्रौद्योगिकीय विकास के साथ है आवश्यकताएं और उनकी पूर्ति के साधन विस्तृत व जटिलतर होते

चले गए। इसके साथ ही विभेदीकरण और फिर संस्तरण का विकास होता गया। समान्यतः स्वीकार किया जाता है कि प्रथम विभेदीकरण स्त्री-पुरुष के बीच था। जैभिकीय विभिन्नता इसका आधार बनी। स्त्री को गर्भ धारण करना और बच्चों का पोषण करना था। अतः शनैः शनैः उसके जिम्मे वे कार्य आते गए, जिनमें श्रम एवं शक्ति की आवश्यकता कम थी। ये कठिनतर कार्य पुरुष के जिम्मे आए, जिनमें युद्ध और शिकार शामिल थे। इस प्रकार बड़ी सहजता से पुरुष जीविकोपार्जन के साधनों का अधिकारी हो गया और महिलाओं के भाग में गृहस्थी के कार्य आए। संगठित राज्य के विकास के साथ ही साथ बढ़ती मनुष्य की युद्धप्रियता ने सामाजिक संस्तरण में पुरुष का एकाधिकार हो गया। स्त्री यदि घर से निकलकर खेतों में श्रम भी करती थी तो स्वामित्व के अधिकार से हीन थी। अधिकाधिक स्त्रियों का स्वामित्व पुरुष की उदय सामाजिक प्रस्थिति का द्योतक था। विभिन्न धर्म-दर्शन भी उसे द्वितीय श्रेणी का घोषित करते थे। कहीं वह पत्यानुगामिनी थी तो कहीं आदम के हड्डी के टुकड़े से बनी उसका अंश मात्र।

यहाँ हम स्पष्ट कर दें कि हमारा आशय सामान्य प्रवृत्ति का निरूपण मात्र है और प्रत्येक काल में, प्रत्येक समाज में इसके अपवाद मिल सकते हैं। फिर भी मध्ययुगीन कृषक समाज प्रवृत्त्यात्मक तथा प्राथमिक रूप से पुरुष प्रधान समाज था। इस स्थिति में महिला उद्यमिता के सम्यक, विकास की कल्पना ही व्यर्थ है, क्योंकि उद्यमिता के जोखिम, निर्णय और लाभार्जन के तत्व महिलाओं की पहुँच में नहीं हो सकते थे। इस स्थिति में औद्योगीकरण और नगरीकरण के कारण बदलते परिवेश में पारिवारिक विघटन प्रारम्भ हुआ। विकासमान राष्ट्रों में श्रमशक्ति की बहुतायत में आवश्यकता थी। नयी प्रौद्योगिकी का भी प्रभाव पड़ा। ऑगबर्न का तो मत था। कि स्त्रियों के घर से अकेले बाहर निकालने में बहुत बड़ी भूमिका कार के सेल्फ स्टार्टर की थी। इसकी पराकाष्ठा विश्वयुद्धों के दौर में आई। योरोप के अनेक देशों के पुरुष बड़ी मात्रा में युद्ध के मोर्चे पर चले गए। इनमें से बड़ी तादाद में हताहत भी हुए। फलतः युद्ध के दौरान और बाद इन देशों की व्यवस्था, कार्यालय आदि सम्भालने के लिए स्त्रियों को आगे आना पड़ा और इसी के साथ स्त्री-स्वतन्त्र का दौर शुरू हुआ। अनेक सामाजिक-राजनैतिक परिस्थितियों वश प्रजातन्त्र को राजनीति की मुख्यधारा और एक मात्र विकल्प माना जाने लगा। इसका आधार फ्रांसीसी क्रांति का स्वतंत्रता समानता बंधुत्व का नारा बना। स्वतंत्रता और समानता की नई व्यवस्था के आधार के रूप में स्वीकृति ने स्त्रियों को भी स्वतंत्रता

और समानता की मांग का अवसर दिया। इसी का एक रूप समाजकितायें और साहित्य में स्त्री विमर्श के रूप में सामने आया। स्त्रियों के राजनैतिक-सामाजिक-आर्थिक अधिकारों में वृद्धि हुई और उनमें उद्यमिता के विकास के अवसर उत्पन्न हुए।

वर्तमान बदलते परिवेश में भी महिलायें किसी से भी एक कदम पीछे नहीं हैं। आज की नारियाँ सुशिक्षित एवं हर कार्य में निपुण हैं। घर-गृहस्थी एवं नौकरी तक ही नहीं बल्कि महिलाओं में औद्योगिक क्षेत्र में भी अपने कदम जमा लिये हैं और पुरुषों के मुकाबले में सफलता के आयाम स्थापित किये हैं। अधिकांश महिलाओं ने अपने व्यवसाय के रूप में उपभोक्ता द्वारा प्रयुक्त वस्तुओं को चुना है जैसे- पापड़, रसोई के दूसरे सामान, कपड़े या आभूषण, ब्यूटी पार्लर फैशन डिजाइनिंग आदि।

भारत में ही नहीं वरन् अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी महिला उद्यमी तेजी से उभर कर आई है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में 13 मिलियन लघु उद्योगों में से 3 मिलियन लघु उद्योग महिलाओं द्वारा चलाये जा रहे हैं और महिलायें इस तरह के उद्योगों से देश में लगभग 15 बिलियन डालर का व्यापार कर रही हैं। 1980 के दशक में अमेरिका में महिलाओं उद्यमियों का वर्चस्व रहा। इस पर वहाँ के नेशनल कमीशन ऑन वूमन पावर पॉलिसी के चेयरमैन का कथन निम्नवत था-

“The Single most outstanding pheomena of the century with long ranging implications absolutely uncharable” उन दिनों यह भवष्यवाणी की जाने लगी कि महिलाएं उद्यम के क्षेत्र में इतनी सक्षक्त एवं सफलतम स्थिति में पहुँच जायेंगी कि जब छोटी लड़कियों से पूछा जायेगा कि बड़ी होकर वह क्या बनना चाहेगी? तो लड़कियों का उत्तर होगा कि वे मे मम्मी की तरह अपना स्वयं का व्यवसाय करना चाहेंगी।

वहीं यूरोप में आंकड़े बताते हैं कि स्वीडेन में कृषि क्षेत्र को छोड़कर लगभग 64000 महिलाएं अपनी स्वयं की कम्पनियाँ चलाती हैं और वहाँ 1962 उद्योग के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी 28.8 प्रतिशत है।

इसी प्रकार उद्योगों में संलिप्त महिलाओं के हितों की रक्षा के लिये लगभग सभी देशों में संस्थाएँ बनाई गई हैं। कुछ संस्थानों तो बहुत पुरानी हैं। उद्यमी महिलाओं की डच एसोशियन अक्टूबर 1950 में बनाई गई थी और सबसे पहली उद्यमी महिलाओं की एसोशियेशन 1946 में फ्रांस में बनाई गई थी। विकासशील देशों में भी यह संख्या तेजी से बढ़ रही है। “द इंडोनेशियन बिजनेस वूमैन्स एसोसियेशन” के तो लगभग 10,000 महिला सदस्य हैं।

भारत में महिला उद्यमी के हितों की रक्षा हेतु कई संस्थाएँ हैं जिनसे नेशनल एलायन्स ऑफ यंग इन्ट्रेप्रेन्योररस” राष्ट्रीय स्तर पर कार्य कर रही है। नवम्बर, 1975 में सर्व प्रथम इसी संस्था ने महिला उद्यमियों के साथ चर्चा हेतु एक संगोष्ठी दिल्ली में आयोजित की थी जिसमें लगभग 300 महिला उद्यमियों ने भाग लिया था। इस बैठक में महिला के स्व-रोजगार एवं समाज में उनकी मजबूत स्थिति बनाने पर चर्चा हुई थी। महिलाओं की आर्थिक सक्रियता का तक कार्यक्रम आगे बढ़ जब 1976 में महिला उद्यमियों द्वारा एक सेमिनार कराया गया और इसका उद्घाटन भारत के राष्ट्रपति ने किया। महिलाओं द्वारा बनाये जाने वाले उत्पादों की एक प्रदर्शनी का भी उद्घाटन राष्ट्रपति की पत्नी द्वारा किया गया।

महिला उद्यमियों के लिये “ नेशनल एलायन्स ऑफ यंग इन्ट्रेप्रेन्योररस” समय-समय पर बैठक, सेमिनार, सम्मेलन, ट्रेनिंग प्रोग्राम, स्टडी टूर आदि का आयोजन कराती रहती है ताकि उद्योगों में लगी हुई नारियों को सही स्थिति का ज्ञान होता रहे और वे देश के औद्योगिक क्षेत्र वाणिज्य एवं टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बराबर हिस्सेदारी बनाती रहे।

महिलाओं ने देश के आर्थिक विकास में बहुत योगदान दिया है। वे वर्तमान में हर क्षेत्र में उन्नति कर रही हैं। परन्तु फिर भी अभी उन्हें बहुत कुछ और सार्थक करना होगा। सरकार भी इस दिशा में महिलाओं को हर सम्भव सहयोग कर रही है।

अतः यह कहा जा सकता है कि उद्यमिता वर्तमान में एक ऐसा आर्थिक क्षेत्र बन गयी है जहाँ महिलाएं आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। उद्यमिता के क्षेत्र में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी एक अच्छा संकेत है। इसके द्वारा महिलाओं को भी अपनी प्रतिभा एवं सक्रिय भागीदारी दिखाने का अवसर मिला है। महिला उद्यमी उद्यम के विकास के लिये तमाम गुणों जैसे

कुशल प्रबन्धन की क्षमता, कार्य के प्रति समर्पण, सहनशक्ति एवं दयालुता आदि से युक्त है। यह एक गलत धारणा है कि महिलाएं अच्छी प्रबन्धक नहीं हो सकती, बल्कि वास्तव में देखा जाए तो हमारे समाज में मां के रूप में महिला कुशल प्रबन्धक होती है क्योंकि उसमें घर चलाने के लिये योजना, बजट निर्णय शक्ति आदि सभी कुछ विद्यमान होता है। आर्थिक रूप से पुरुषों पर आश्रित रहकर राजनीति में अपनी उपस्थिति बनाये रखना प्रत्येक महिला राजनीत स्तर के लिये सर्वदा सम्भव नहीं है यही कारण है कि महिलायें आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उद्यमिता की तरफ उन्मुख हो रही हैं।

प्रश्न यह उठता है कि यह "उद्यमिता" क्या है प्रस्तुत शोधकार्य का शीर्षक "पंचायती राज में महिला उद्यमिता एक समाजशास्त्रीय अध्ययन" में उद्यमिता शब्द एक आधार स्तम्भ की कीर्ति प्रतीत होना। ऐसा लगता है जैसे पंचायती राज में महिलाओं की भागीदारी उद्यमिता के बिना अनवरत रूप से चल पाना अत्यन्त दुष्कर है। इसलिए उद्यमिता का शब्द के वास्तविक रूप को प्रस्तुत करना भी शोधार्थी का महत्वपूर्ण कर्तव्य बन गया है। अतः प्रस्तुत है उद्यमिता का अर्थ, अवधारणा एवं महिला उद्यमिता की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि—

उद्यमिता के उपरोक्त विश्लेषण तथा महिला उद्यमिता की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि से स्पष्ट होता है कि सामाजिक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विकास के लिये उद्यम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसी तरह राजनीति का समाज से निकट और गहरा सम्बन्ध है। पंचायती राज में महिला राजनीति का सीधा सरोकार धन के अभाव में धन के अभाव में असहज प्रतीत होता है। क्योंकि वर्तमान युग आर्थिक युग है। आज देश और समाज में प्रत्येक अवस्यकता की पूर्ति के उपरान्त व्यक्ति की जो अवस्यकता है वह है राजनीतिक महत्वाकाँक्षा जिसके लिये वर्तमान में असीमित धन की अवस्यकता होती है। और धनोपार्जन के लिये उद्यम के अतिरिक्त अन्य कोई सरलतम और सवैधानिक उपाय नहीं।

सन्दर्भ:

1. मजूमदार आर0 सी, कॉरपोरेट लाइफ इन एनसियेट इण्डिया, पृ0 50

2. बेनी प्रसाद, हिन्दू पॉलिटी, पृ0 51
3. अल्लेकर, ए0 एस, स्टेट एंक गवर्नमेंट इन एनसियेन्ट इण्डिया, पृ0 227।
4. वही, पृ0 230।
5. वही, पृ0 23।
6. मुखर्जी, राधाकुमुद, लोकल गवर्नमेंट इन एनसियेन्ट इण्डिया पृ04।
- 7- अवध प्रसाद भारत में ग्राम पचायतों के पच्चीस वर्ष पृ0 4।